न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – श्री रणछोड़ लाल, (आर.ए.एस)

राजस्व वाद सं. 180/2018 (49/2016)
राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 RT Act

वादी – 1. पूराराम 2. वभूताराम पि. डूंगराराम जाति जाट निवासी शोभाला जेतमाल तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण –1. फुसाराम 2. वगताराम पि. रामचन्द्र 3. पूरोदेवी पत्नी रामचन्द (फौत होने से नाम डिलिट) जाति जाट निवासी शोभाला जेतमाल तहसील चौहटन जिला बाड़मेर 3. प्रबन्धक बी.सी.सी.बी. चौहटन 4. तहसीलदार चौहटन

उपस्थित :– वादी वकील – श्री मोहनसिंह सोढ़ा
प्रतिवादीगण –

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) सत्यमेव जयते चौहटन

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 21.01.2026

उपरोक्त वाद में न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौहटन से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो शामिल पत्रावली किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि वादीगण का वाद स्वीकार करने योग्य है। अतः न्यायहित में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विभाजन प्रस्ताव अनुसार तहसील चौहटन के मौजा शोभाला जेतमाल के खसरा संख्या 201[illegible] रकबा 78.05 बीघा भूमि के आये हुए है। उक्त विवादित भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2026.03.24 19:13:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्दियत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टयर)	किस्म	लगान	बरंग
1	पूरा पुत्र डूंगरा, वभूता पुत्र डूंगरा कौम जाट सा. देह खातेदार	शोभाला जेतमाल	201/19	10.1333	बा.दो.	3.14	हरा
2	पूरोदेवी पत्नी रामचन्द, फूसाराम पुत्र रामचन्द, वगताराम पुत्र रामचन्द जाति जाट सा.देह खातेदार	शोभाला जेतमाल	201/19	2.5333	बा.दो.	0.79	लाल

प्रतिवादी सं. 3 पूरोदेवी का स्वर्गगास होने से उनके का.मु. प्रतिवादी सं. 1 व 2 ही है। दोनो वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त विभाजन हेतु सहमत है।

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2026 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिले दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) चौहटन सत्यमेव जयते

(रणछोड़ लाल)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) चौहटन

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2026.03.24 19:13:57 IST
Reason: SelfAttested